यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सचिव, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए **कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून** की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सचिव, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून के माह 08/2017से11/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, लेखापरीक्षक, श्री रवि शंकर एवं श्री अजय बहुगुणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 15.12.2020 से 21.12.2020 तक श्री दानिश इकबाल,वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी केपूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री विजय कुमार,वरिष्ठ लेखापरीक्षक,श्री रवि शंकर एवं श्री अजय बहुगुणा,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियोंद्वारा दिनांक 09.08.2017 से 16.08.2017 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 06/2016 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2017 से 11/2020तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. **(i)इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-**

   शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा 31 के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा संबंधी प्रदत्त अधिकारों का अनुश्रवन,बच्चों को प्रदत्त अधिकारों/ रक्षापायों का परीक्षण/ समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संस्तुतियाँ करना,बच्चों की नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबन्धित शिकायतों की पृच्छा एवं निराकरण।

   कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्रसम्पूर्ण उत्तराखण्ड है।

   (ii) (अ) विगततीन वर्षों में बजट आवंटनएवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

वित्तीय वर्ष	प्रा0 अवशेष	स्थापना		गैर-स्थापना			बचत/समर्पण
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2017-18	-	44.42	37.68	1.00	0.65	-	7.09
2018-19	-	61.01	40.81	1.00	0.00	-	21.20
2019-20	-	68.49	47.90	22.00	3.09	-	39.50
2020-21 (11/2020 तक)	-	54.95	40.97	0.00	0.00	-	-

(ब)विगततीन वर्षों में उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गम आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	प्रा0 अवशेष	आवंटन	व्यय	आधिक्य	बचत /अवशेष धनराशि
2017-18	शिक्षा का अधिकार	7.66	1.20	1.99	-	6.87
2018-19	शिक्षा का अधिकार	6.87	1.90 (ब्याज/ अन्य)	6.32	-	2.63
2019-20	शिक्षा का अधिकार	2.63	0.09 (ब्याज/अन्य)	0.00	-	2.72
2020-21 (11/2020 तक)	शिक्षा का अधिकार	2.72	0.04 (ब्याज/अन्य)	0.00	-	2.76

(स)इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना एवं गैर-स्थापना व्यय/योजनांतरगत व्यय को सम्मलित न करते हुए इकाई 'सी' श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1) सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास बिभाग
2) सचिव, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून।

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में सचिव, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादूनआच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन सचिव, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है।माह 03/2018 व 07/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग II `ब`

प्रस्तर:1- उत्तराखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग मे सदस्यों के 100% पद का रिक्त होना तथा शिकायतों के निस्तारण मे विलम्ब।

उत्तराखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सी॰पी॰सी॰आर॰ अधिनियम 2005 की धारा 17 के अन्तर्गत गठित एक स्वायत संवैधानिक आयोग है। ``प्रादेशिक बाल विकास बोर्ड`` को अधिक्रमित करते हुए ``उत्तराखण्ड बाल विकास संरक्षण आयोग`` का गठन 10 मई 2011 को किया गया था | जिसका मूल कार्य राज्य के बच्चों के अधिकारों के रक्षापायों /संरक्षण, बच्चों के प्रति किए जाने वाले अपराध अथवा बाल अधिकार के हनन से संबन्धित मामलों को त्वरित गति से निस्तारण किए जाने तथा राष्ट्र निर्माण मे बच्चों की महत्वपूर्ण एवं सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना है | जिसके लिए आयोग का गठन किया गया था। प्रश्नगत अधिनियम के अन्तर्गत आयोग हेतु निश्चित योग्यता प्राप्त व्यक्ति को ही आयोग का अध्यक्ष पद पर तैनात किया जाना था। आयोग हेतु एक अध्यक्ष तथा 06 सदस्यों का पद सृजित किया गया है, जिसका चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और उनका कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष तक का होगा। कार्यालयीय कार्यों के निष्पादन हेतु कुल 10 पद स्वीकृत किए गए थे, जिसमे सचिव का पद पद पर आई॰ए॰एस॰/पी॰सी॰एस॰ अखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय सेवा अथवा अन्य राज्याधीन सेवा का अधिकारी हो सकता जो राज्य के सचिव के वेतनमान से कम न हो। अनुसचिव का प्रतिनियुक्ति के आधार तथा शेष पद संविदा / आउटसोर्सिंग के आधार पर भरा जाना था। अधिनियम मे निहित प्रविधानों के अनुसार आयोग विभिन्न कार्यों (सूची संलग्न) के लिए अधिकृत है। आयोग को मुख्यरूप से निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन करना था, 1-बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु कानूनी उपायों की समीक्षा करना तथा इन उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनुशंसा करना. 2-प्रतिवर्ष केंद्र सरकार को बाल अधिकारो के संरक्षण संबंधी उपायों पर प्रगति आख्या भेजना। 3- बाल अधिकारो के हनन की जांच करना तथा ऐसे मामलों मे कार्यवाही की अनुशंसा करना। 4-बाल अधिकारों के क्षेत्र मे शोध एवं कार्य को प्रोत्साहित करना। 5- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 31 के अन्तर्गत बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी प्रदत्त अधिकारों का अनुश्रवन बच्चों को प्रदत्त अधिकारों/रक्षापायों का परीक्षण/समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संस्तुतियों करना, बच्चों की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबन्धित शिकायतों की परीक्षा एवं निवारण करना है। 6-आयोग को प्रति वर्ष राज्य सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना करना था इत्यादि।

उत्तराखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि कार्यालयीय कार्यों के लिए स्वीकृत 10 पदों के सापेक्ष समस्त पदों पर तैनाती थी परन्तु सदस्यों के समस्त पद 100% पद (सितम्बर 2019 से जून 2020 तक मे रिक्त हो चुका था) रिक्त था। उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली मे निहित प्राविधानों के अनुसार आयोग को बाल अधिकार संरक्षण हेतु एवं उनकी दशा सुधारने के लिए रक्षापायों के प्रभावित क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को अपने प्रतिवेदन के माध्यम से सिफ़ारिश करना था परंतु ऐसा कोई अभिलेख इकाई द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित होता कि आयोग द्वारा राज्य सरकार को कोई कार्य योजना प्रेषित की गयी हो अथवा कोई प्रतिवेदन के माध्यम से सिफ़ारिश की गयी हो। आयोग को केवल वेतन भत्ते एवं कार्यालयीय व्यय हेतु धनराशि आवंटित हो रही थी जिससे प्रमाणित होता है कि आयोग द्वारा बाल अधिकारों के क्षेत्र मे शोध एवं कार्य को प्रोत्साहित किया गया हो तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 31 के अन्तर्गत बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी प्रदत्त अधिकारों का अनुश्रवण बच्चों को प्रदत्त अधिकारों/रक्षापायों का परीक्षण/समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संस्तुतियों करना, बच्चों की नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा से

संबन्धित शिकायतों की परीक्षा एवं निवारण करना था परन्तु उक्त मद मे बजट वर्ष 2017-18 के बाद से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई थी और न ही आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 के बाद धनराशि का व्यय किया गया था जिससे यह प्रदर्शित होता है कि आयोग द्वारा इस क्षेत्र मे भी कोई विशेष कार्य संपादित नहीं किया गया था। जांच मे यह भी पाया गया कि विगत पाँच वर्षो मे आयोग को 876 शिकायते प्राप्त हुईं जिसके सापेक्ष आयोग द्वारा 488 प्रकरणो का निस्तारण तथा 388 प्रकरण संप्रेक्षा तिथि तक अनिस्तारित थे। वर्षवार विवरण निमन्वत था-

वर्ष	प्राप्त शिकायत	निस्तारण	निस्तारण हेतु शेष
2016-17	96	84	12
2017-18	156	127	29
2018-19	198	134	64
2019-20	290	128	162
2020-21 (11/202)	136	15	121
	876	488	388

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग मे सदस्यों के 100% पद रिक्त था तथा आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों के निस्तारण मे शीथिलत्ता बरती जा रही थी यही कारण था कि 454 प्रकरण निस्तारण हेतु शेष थे तथा आयोग हेतु निर्धारित कार्यों यथा बाल अधिकारों के क्षेत्र मे शोध एवं कार्य को प्रोत्साहित किया गया हो क्योंकि इस मद मे आयोग को कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं हुई थी, तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 31 के अन्तर्गत भी वर्ष 2017-18 के बाद से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई थी और न ही आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 के बाद धनराशि का व्यय किया गया था जिससे यह प्रदर्शित होता है कि आयोग द्वारा इस क्षेत्र मे भी कोई विशेष कार्य संपादित नहीं किया गया था।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि आयोग मे सदस्यों की नियुक्ति शासन स्तर से की जाती है इस हेतु शासन को सूचना प्रेषित है। आयोग को प्राप्त शिकायतों का निस्तारण अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव द्वारा किया जा रहा है सदस्यों की नियुक्ति न होने के प्रभाव के सम्बंध मे अवगत कराया कि आयोग के बोर्ड की बैठक एवं नियमावली 2011 के नियम 13 पर प्रभाव पड़ता है तथा बाल अधिकारों के क्षेत्र मे शोध एवं कार्य के सम्बंध मे अवगत कराया कि उक्त कार्य बजट के आभाव मे नहीं कराये जा सके। शोध कार्य हेतु शासन से बजट एवं शोध मद सृजित कराये जाने का प्रस्ताव भी दिया गया है किन्तु शासन से वर्तमान तक स्वीकृति अप्राप्त है। इकाई का उत्तर स्वतः लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। अतएव उत्तराखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग मे सदस्यों के 100% पद का रिक्त रहने तथा शिकायतों के निस्तारण मे विलम्ब होने और बाल अधिकारों के क्षेत्र मे शोध मद मे बजट आवंटन नहीं होने के कारण बाल अधिकारों के क्षेत्र मे शोध एवं कार्य अपूर्ण रहने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

(v)

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या
26/2016-17	01	01
49/2017-18	शून्य	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभियुक्ति
26/2016-17	भाग-2(अ)-प्रस्तर-01 एवं भाग-2(ब)-प्रस्तर-01	अप्रस्तुत	यथावत	इकाई द्वारा प्रतिउत्तर में बताया गया कि प्रस्तरों की अनुपालन आख्या शीघ्र ही तैयार कर कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेषित कर दी जाएगी।
49/2017-18	भाग-2(ब)-प्रस्तर-01	अप्रस्तुत	यथावत	इकाई द्वारा प्रतिउत्तर में बताया गया कि प्रस्तरों की अनुपालन आख्या शीघ्र ही तैयार कर कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेषित कर दी जाएगी।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

------------------------शून्य--------------------------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय**प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून** लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालयसचिव, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेख:

(i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं	नाम	पदनाम	अवधि
1	डॉ0 शक्ति प्रसाद सेमवाल	अनुसचिव	16.12.2014 से 12.02.2018
2.	श्री विनोद प्रसाद रतुड़ी	सचिव	12.02.2018 से 27.09.2019
3.	सुश्री झरना कमठान		03.10.2019 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालयसचिव, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून**को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप-महालेखाकार/ए०एम०जी०-I, कार्यालय **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकर भवन कौलगढ़, देहरादून-248195** को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-I